मेरी योजना

उत्तराखण्ड शासन

योजनाएं / नीतियां

- जनकल्याणकारी
- स्वरोजगार / रोजगारपरक
- कौशल विकास / प्रशिक्षण
- निवेशपरक

मूलभूत सेवाये

प्रमाण पत्र

मेरी योजना मेरा अधिकार , अपणि सरकार जनता के द्वार

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

लाभ

पात्रता

आवेदन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया

पोर्टल

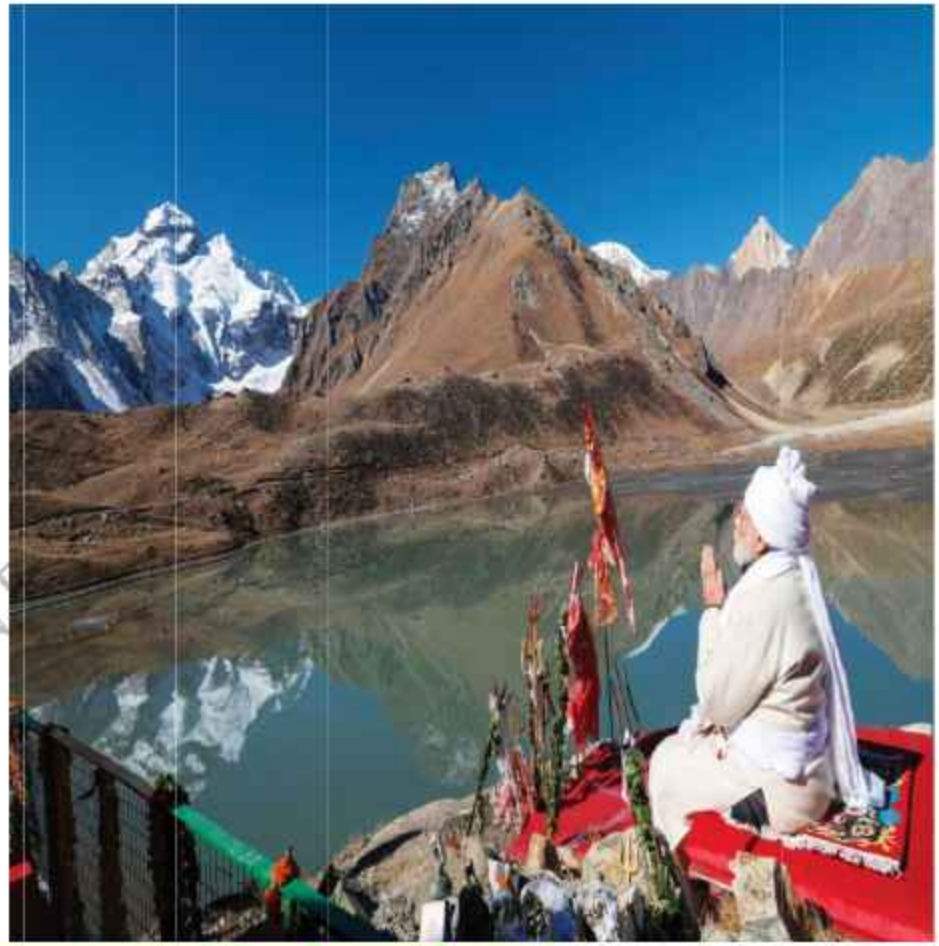

मा0 प्रधानमंत्री जी का गढवाल मण्डल में श्री बदरीनाथ

और

कुमांऊ मण्डल में आदि कैलाश का भ्रमण।

PROGRAMME MANAGEMENT

"मेरी योजना"

"इस पुस्तक को प्रकाशित करने का मुख्य उददेश्य, पात्र लाभार्थियों को जनकल्याणकारी, स्वरोजगार/रोजगारपरक, कौशल विकास/प्रशिक्षणपरक, निवेशपरक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया को सरल शब्दों में अवगत कराना है, जिससे पात्र लाभार्थी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके और हमारा उत्तराखण्ड "सर्वश्रेष्ठ उत्तराखण्ड" बन सके।" प्रथम बार, इस प्रकार की पुस्तक बनाने का समग्र प्रयास किया गया है। यह पुस्तक जहां पात्र लाभार्थी को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहयोग करेगी वहीं नीतिनिर्धारणकर्ताओं, शोधकर्ताओं, पाठकों के लिए रूचिकर एवं सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के प्रति सजग बनायेगी। इस पुस्तक में संशोधन/सुधार/सुझाव/आपत्ति हेतु कृपया निम्न पते/ईमेल में प्रेषित करना चाहें ताकि आगामी संस्करण को सुधारों के साथ प्रस्तुत किया जा सके।"

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की पहली समीक्षा बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी। दिनांक 09 जून, 2023

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
ई0मेल–sopi-1@uk.gov.in

PROGRAM IMPLEMENTATION DEPARTMENT

संरक्षण एवं निर्देशन

श्री पुष्कर सिंह धामी– मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड, श्रीमती राधा रतूड़ी–अपर मुख्य सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं श्री दीपक कुमार–सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

सम्पादन

श्री दीपक कुमार–सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं सुश्री रंजना–समीक्षा अधिकारी, कार्यक्रम क्रियान्वयन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

विभागीय समन्वयन एवं नियम/अधिनियम/शासनादेशों का संकलन तथा सूची तैयार करना

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, के अधिकारी/कार्मिक श्री एन0एस0 डुंगरियाल–संयुक्त सचिव, श्री रावेन्द्र चौहान–विशेषकार्याधिकारी, श्रीमती वन्दना पाटनी–विशेषकार्याधिकारी, श्री संतोष चन्द मिश्रा–पूर्व अनुभाग अधिकारी, श्री रमेश कुमार–समीक्षा अधिकारी, श्री उत्सव सेमवाल–सहायक समीक्षा अधिकारी।

पुस्तक प्रूफ रीडिंग

श्री दीपक कुमार–सचिव, श्री एन0एस0 डुंगरियाल–संयुक्त सचिव, श्री अनिल प्रकाश उनियाल–अनु सचिव, श्रीमती संध्या नेगी–अनुभाग अधिकारी, सुश्री रंजना–समीक्षा अधिकारी।

सहयोग

समस्त विभागीय अधिकारी/कार्मिक, सचिवालय के कतिपय वरिष्ठ अधिकारी, अनुभाग अधिकारी एवं निजी सचिव, मीडिया सेंटर सचिवालय, ई.आफिस टीम, एनआईसी, मा0 मुख्यमंत्रीजी की मीडिया टीम।

कम्प्यूटर कम्पोजिंग एवं पेज डिजाइन

सुश्री रंजना–समीक्षा अधिकारी, श्री रमेश कुमार–समीक्षा अधिकारी, श्रीमती कुसुम–कम्प्यूटर सहायक, कार्यक्रम क्रियान्वयन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

मुद्रण

(संबंधित पुस्तक आमजन हेतु डिजिटल रूप में उपलब्ध एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के सर्वाधिकार सुरक्षित)

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

पुष्कर सिंह धामी

मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सचिवालय
देहरादून– 248001
सचिवालय फोन: 0135–2716262
0135–2650433
फैक्स: 0135–2712827
विधान सभा फोन: 0135–2665100
0135–2665497
फैक्स: 0135–2666166
Email: cm-ua@nic.in

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी, निवेशपरक, रोजगारपरक, कौशल विकास, प्रशिक्षण योजनाओं को आम जन–मानस तक सुलभता से पहुँचाये जाने के उद्देश्य से नीतियों, अधिनियमों एवं शासनादेशों को संकलित करते हुए एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने के साथ–साथ डिजिटल माध्यम से भी आम जन–मानस को सुगमता से उपलब्ध कराये जाने का अनूठा एवं अभिनव प्रयास किया गया है। इससे समाज के प्रत्येक वर्ग/आम जन–मानस की अपेक्षाओं के अनुरूप सरकार की नीतियों को जनसामान्य तक पहुँचने में अत्यन्त सुलभता होगी। मुझे आशा है कि इस पुस्तक के प्रकाशन से प्रदेश के सभी वर्गों को सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न जन कल्याणकारी, विकासपरक योजनाओं एवं नीतियों की जानकारी प्राप्त होने में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। मुझे यह भी आशा है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सरकार की विभिन्न जनोपयोगी योजनाओं का लाभ आम जन–मानस को पहुंचाये जाने के उद्देश्य से प्रकाशित होने वाली पुस्तक एवं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराना एक सकारात्मक पहल के साथ ही मील का पत्थर साबित होगी। इस पुस्तक के प्रकाशन से विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी एवं निवेशपरक योजनाओं की जानकारी इस पुस्तक में उपलब्ध होने एवं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होने पर निःसंदेह यह भविष्य के लिए भी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। मुझे यह भी अवगत कराया गया है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड का यह प्रथम प्रयास है, इसके लिए इस विभाग से जुड़े सभी अधिकारी/कर्मचारी प्रशंसा के पात्र हैं।

मेरी ओर से पुस्तक के सफल प्रकाशन एवं इस महत्वपूर्ण जानकारियों को आम जन–मानस तक डिजिटल के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें।

(पुष्कर सिंह धामी)

डा0 सुखबीर सिंह सन्धु
Dr. Sukhbir Singh Sandhu

मुख्य सचिव
Chief Secretary

उत्तराखण्ड शासन
Government of Uttarakhand
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भवन
Netaji Subhash Chandra Bose Bhawan
राज्य सचिवालय, देहरादून
Civil Secretariat, Dehradun
Phone (Off.) 0135-2712100, 2712300
(Fax) 0135-2712500
E-mail : cs-uttarakhand@nic.in
chiefsecyuk@gmail.com

संदेश

यह हर्ष का विषय है कि उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात् कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित, जनकल्याणकारी, रोजगारपरक योजनाओं का समावेश करते हुए आम जनमानस तक सुलभता से पहुंचाये जाने के उद्देश्य से पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है। पुस्तक को आम जनमानस तक सुलभता से पहुंचाये जाने के लिए डिजिटल माध्यम से भी पृथक से उपलब्ध किया जा रहा है।

ऐसा विश्वास है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक सरकार की विभिन्न जनोपयोगी योजनाओं की जानकारी राज्य के अंतिम गांव के व्यक्ति तक पहुंचाये जाने में सहायक सिद्ध होगी।

पुस्तक के सफल प्रकाशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

(डॉ0 सुखबीर सिंह सन्धु)
मुख्य सचिव।

राधा रतूड़ी, भा.प्र.से.
अपर मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन
गृह एवं कारागार विभाग
4 सुभाष मार्ग, देहरादून-248001
दूरभाष : 0135-2712055,
फैक्स : 0135-2712014

दिनांक-22.11.2023

संदेश

यह प्रसन्नता का विषय है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा राज्य सरकार के अन्तर्गत राज्य के विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं की जानकारी संकलित कर जनोपयोगी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाए जाने के उद्देश्य से पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग प्रकाशित होने वाली पुस्तक को डिजिटल रूप में भी उपलब्ध करा रहा है जिससे राज्य में निवासरत युवा ही नहीं बल्कि अप्रवासी युवा भी लाभान्वित होंगे।

मुझे आशा है कि पुस्तक के प्रकाशन से राज्य के सभी वर्ग के जनमानस जिनको सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है, उन्हें सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी सुलभता से उपलब्ध हो पाएगी।

पुस्तक के सफल प्रकाशन हेतु कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

दीपक कुमार,
सचिव

उत्तराखण्ड राज्य

उत्तराखण्ड शासन।
कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग,
4 सुभाष मार्ग,
देहरादून–248001
दूरभाष : 0135–2664127

प्रस्तावना एवं आभार

प्रदेश के यशस्वी मा0 मुख्यमंत्री, श्री पुष्कर सिंह धामी, जी द्वारा उत्तराखण्ड शासन में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग में सचिव पद का दायित्व दिये जाने से मुझे प्रदेश की सर्वोच्च संस्था में कार्य करने का पुनः (पूर्व में भी वर्ष 2014–2017 के मध्य मैं प्रदेश सरकार में सचिव सूचना प्रौद्योगिकी वि0प्रौ0, जैव प्रौद्योगिकी, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग का दायित्व देख चुका हूं।) अवसर प्राप्त हुआ, मेरे लिए एक ओर यह सौभाग्य की बात थी लेकिन दूसरी ओर मेरे सम्मुख मा0 मुख्यमंत्री जी, मा0 मंत्रीगणों, मा0 विधायकगणों के अतिरिक्त प्रदेश के मुखिया के रूप में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, डॉ0 सुखबीर सिंह सन्धु, अपर मुख्य सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, श्रीमती राधा रतूड़ी जी के साथ–साथ विभिन्न विभागीय सचिवगणों के सहयोग से कार्य करते हुए राज्य सरकार की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौती भी थी। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग का गठन वर्ष 2009 में होने के फलस्वरूप तत्समय, समय की आवश्यकतानुरूप तीन शासनादेश निर्गत होने के साथ हुई थीं, तब से अब तक विभागान्तर्गत गतिविधियों को मूर्त रूप देना भी मेरे लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए मेरे द्वारा विभागीय गतिविधियों को आमजनमानस तक पहुंचाये जाने और मा0 मुख्यमंत्री जी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया गया। इस कड़ी में मेरे द्वारा सर्वप्रथम अपने अधीनस्थ सुयोग्य अधिकारियों/कार्मिकों की टीम का गठन किया गया जिसमें सचिवालय प्रशासन विभाग के मुखिया के रूप में अपर मुख्य सचिव महोदया, श्रीमती राधा रतूड़ी जी का मुझे भरपूर सहयोग और सान्निध्य प्राप्त हुआ।

अपने अधिकारियों/कार्मिकों के साथ विभागीय गतिविधियों को प्रकाशित किये जाने के लिए राज्य सरकार की नीतियों को आमजनमानस तक किस तरह से पहुंचाया जाये इस बात पर मंथन/विचार विमर्श किया गया और परिणामस्वरूप निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के समस्त विभागों द्वारा आमजनमानस को प्रदत्त की जाने वाली योजनाओं, जिनका ज्ञान अभी जनता को नहीं है अथवा कम है, की जानकारी एक ही थीम के अन्तर्गत संकलित कर पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाये।

मुझे यह भी महसूस हुआ कि चूंकि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के फलस्वरूप भी कतिपय कारणों से आशातीत परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं और वर्तमान में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के सचिव का दायित्व एवं विभिन्न बैठकों में मा0 मुख्यमंत्री जी के प्रशासनिक नेतृत्व से मेरा परिचय हुआ और उनकी प्राथमिकताओं को निकटता से परखने और समझने का अवसर भी प्राप्त हुआ। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग में **"सरकार जनता के द्वार"** कार्यक्रम के संचालित होने के फलस्वरूप आशातीत परिणामों को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि जनता के बीच जाकर सरकार द्वारा विभिन्न संचालित योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा करें, परन्तु इसमें यह समस्या महसूस की गई कि किसी भी अधिकारी को विभिन्न विभागों की जानकारी कैसे हो सकती है? क्योंकि कोई भी अधिकारी किसी विभाग विशेष का प्रतिनिधित्व करता है और इसीलिए उसकी जानकारी अपने विभाग की योजनाओं तक सीमित रहती है और समस्त जानकारियों के अभाव में किस तरह से जनपद, विकास खण्ड स्तर पर वह सरकारी योजनाओं की समीक्षा कर सकता है और मुझे महसूस हुआ की मा0 जनप्रतिनिधियों के सम्मुख भी यह समस्या आती होगी। इसी के दृष्टिगत सरकार के विभिन्न विभागों को एक ही प्लेटफॉर्म पर पुस्तक के तौर पर प्रकाशित करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसी क्रम में 09 जून, 2023 को मा0 मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभागीय समीक्षा बैठक में प्रदत्त निर्देशों के बाद सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विभागों की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और युवाओं के लिए रोजगारपरक सम्बन्धी योजनाओं को आमजनमानस तक पहुंचाया जाने के लिए कार्ययोजना पर कार्य प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया और इसी कड़ी में पुस्तक को प्रकाशित

करने के रूप में मा0 मुख्यमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप कार्य किया गया है।

प्रस्तुत पुस्तक में यह प्रयास किया गया है कि सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न विभागो में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी को सरल भाषा में संकलित किया जाये जिससे प्रदेश के आम जनमानस (जिसमें प्रदेश के युवावर्ग एवं वंचित वर्ग, विशेष रूप से लाभान्वित हो सकें) को वर्तमान में संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया की जानकारी, आवेदन कहा और कैसे किया जाये?, योजनाओं की पात्रता क्या है?,चयन प्रकिया क्या है?,आवेदन हेतु किन–किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? इत्यादि की जानकारी को सुलभता से समझाने का प्रयास किया गया है। मेरा विश्वास है कि इस पुस्तक से जहां एक ओर आम जनमानस को सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो पायेगी वहीं सरकार की योजनाओं का लाभ लेने में पुस्तक लाभकारी सिद्ध होगी एवं युवाओं एवं वंचित वर्ग के भविष्य के लिए यह पुस्तक मील का पत्थर साबित होगी।

पुस्तक के प्रकाशन में योजनाओं से संबंधित शासनादेशों, नीतियों, दिशानिर्देशों, अधिनियमों आदि दस्तावेजों की आवश्यकता थीं और इन दस्तावेजों के संकलन में सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा यथावश्यक कार्मिकों की तैनाती /मूलभूत संसाधनों की आवश्यकता के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, श्रीमती राधा रतूड़ी जी का मार्गदर्शन एवं सहयोग सदैव मिलता रहा और उनके सहयोग से ही इस पुस्तक का प्रकाशन किये जाने में सफलता प्राप्त हो पाई।

समस्त विभागों से प्राप्त दस्तावेजों का अध्ययन कर उन्हें प्रस्तुत रूपरेखा के रूप में निर्धारित किया जाना सदैव चुनौतीपूर्ण होता है अर्थात इस पुस्तक की मूर्तिकार के रूप में सुश्री रंजना, समीक्षा अधिकारी का महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हुआ। समस्त विभागीय अधिकारियों के अथक प्रयास और कड़ी लगन के बिना पुस्तक का प्रकाशन संभव नहीं था और इसी कड़ी में स्व0 श्री वीरेन्द्रपाल सिंह पूर्व अपर सचिव, श्री नन्दन सिंह डुंगरियाल, संयुक्त सचिव, श्री अनिल प्रकाश उनियाल, अनु सचिव, श्री संतोष चन्द्र मिश्रा (पूर्व अनुभाग अधिकारी), श्रीमती संध्या नेगी (वर्तमान अनुभाग अधिकारी), श्री नारायण सिंह राणा, श्री रमेश कुमार, समीक्षा अधिकारी, श्री उत्सव सेमवाल, सहायक समीक्षा अधिकारी, श्रीमती कुसुम, कम्प्यूटर सहायक, के साथ ही विशेष कार्याधिकारी के रूप में सहयोगी एवं मार्गदर्शक के रूप में श्री ललित मोहन आर्य, श्री राजेन्द्र चौहान, श्री संजीव कुमार शर्मा, डॉ0 शैलेष कुमार पंत, श्री धर्मेन्द्र पयाल, श्रीमती वंदना पाटनी और श्रीमती सरिता तोमर के द्वारा किये गये परिश्रम की प्रशंसा के साथ ही इनके द्वारा प्रदत्त अथक प्रयासों के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके अतिरिक्त समस्त विभागों के शासन स्तर पर विभिन्न पदों पर सुशोभित उच्चाधिकारियों, विभिन्न विभागाध्यक्षों जिनके द्वारा अपने विभागों से सम्बन्धित आवश्यक तथ्यों/शासनादेशों/आदेशों/नियमों /अधिनियमों/नीतियों/योजनाओं का संकलन, संबंधित सूचनायें तथा विवरण उपलब्ध कराये जाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, का भी आभार व्यक्त करता हूं, साथ ही मैं समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव गणों के सहयोग एवं मार्गदर्शन हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता हूं । अन्त में विशेष मार्गदर्शक के रूप में प्रेरणास्रोत रहे प्रदेश के यशस्वी मा0 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और प्रदेश के मुखिया के रूप में डॉ0 सुखवीर सिंह संधु, मुख्य सचिव महोदय का **"मेरी योजना"** पुस्तक को मूर्त रूप दिये जाने में अभिप्रेरित/प्रोत्साहित किये जाने हेतु भरपूर योगदान के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

(दीपक कुमार)
सचिव।

अनुक्रमणिका

क्र.	राजकीय विभाग, बोर्ड, आयोग,केन्द्र, संस्थान, निगम, संगठनों के नाम	जन कल्याणकारी, स्वरोजगार/रोजगारपरक, कौशल विकास/प्रशिक्षणपरक, योजनाओं/कार्यक्रमों, निवेशपरक नीतियों तथा मूलभूत सेवाओं का नाम एवं योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु उपयोग होने वाले प्रमाण पत्रों के नाम।	पृष्ठ संख्या
1.	समाज कल्याण विभाग	1. वृद्धावस्था पेंशन 2.निराश्रित विधवा पेंशन 3.दिव्यांग पेंशन 4.तीलू रौतेली पेंशन योजना 5.बोना पेंशन योजना 6.किसान पेंशन 7.परित्यक्ता पेंशन, 8.अनु0जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना 9. निराश्रित विधवा की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना 10.दिव्यांग युवक/युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन योजना 11.राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (भारत सरकार द्वारा संचालित) 12.अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को कक्षा 01 से 08 तक की छात्रवृत्ति 13. अनुसूचित जाति/जनजाति कक्षा 09 तथा 10 की छात्रवृत्ति योजना 14. अनुसूचित जाति/जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति 15. पिछड़ी जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति 16. पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति 17. आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग (EBC) दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना 18. राजकीय वृद्ध एवं आशक्त आवास गृह का संचालन	15–21
2.	सैनिक कल्याण विभाग	1.पैन्यूरी ग्रान्ट 2.मेडिकल ग्रान्ट 3.विवाह हेतु अनुदान 4.शिक्षा अनुदान 5.वोकशनल ट्रैनिंग अनुदान 6.100 प्रतिशत अशक्त बच्चों हेतु अनुदान 7. निराश्रित अनुदान 8.विशेष चिकित्सा सहायता 9.भवन निर्माण हेतु लिए गये ऋण के ब्याज की प्रतिपूर्ति 10. मोबिलिटि इक्विपमेन्ट सहायता 11. प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना 12.एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 में प्रवेश 13. वीरता पदक से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त तथा वार्षिकी 14.विशिष्ट सेवा पदक पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त अनुदान राशि 15. उत्तराखण्ड शहीद कोष अनुदान 16. आवासीय सहायता अनुदान 17. स्टाम्प ड्यूटी में छूट 18.इंजिनियरिंग एवं मेडिकल शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति 19. निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण 20. निःशुल्क भर्ती पूर्व प्रशिक्षण।	22–30
3.	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग	(1) समेकित बाल विकास सेवायें (आई0सी0डी0एस0), (2) किशोरी बालिका योजना, 3. मिशन शक्ति योजनान्तर्गत वन स्टॉप सेंटर, (4) मिशन शक्ति योजना–सामर्थ्य के अन्तर्गत प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, (5) सखी निवास (कामकाजी महिला छात्रावास), (6) नंदा गौरा योजना, (7) मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना, (8) मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना, (9) मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, (10) मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, (11) तीलू रौतेली पुरस्कार, (12) सैनेटरी नैपकिन योजना, (13) आंगनवाड़ी कर्मी कल्याण कोष, (14) राष्ट्रीय महिला हैल्पलाईन 181	31–36
4.	महिला कल्याण विभाग	(1) स्पॉसरशिप योजना(90 प्रतिशत के0पो0), (2) अनाथ बच्चों हेतु क्षैतिज आरक्षण, का लाभ प्राप्त करने के लिए अनाथ प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया (3) राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र तथा महिला गृह में प्रवेश की प्रक्रिया। (4) शासकीय बाल देखरेख संस्थान (5) दत्तक बच्चे ग्रहण करने की प्रक्रिया।	37–40
5.	अल्पसंख्यक विभाग	(1) स्वरोजगार योजना "अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगारों हेतु", (2) मुख्यमंत्री हुनर योजना, (3) मौलाना आजाद एजुकेशन फाईनेन्स फाउन्डेशन योजना, (4) अल्पसंख्यक पोस्ट मेंट्रिक छात्रवृत्ति योजना (100प्रति.के.पो), (5) अल्पसंख्यक मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना (100प्रति.के.पो), (6) अल्पसंख्यक कक्षा 1 से 10 तक की छात्रवृत्ति योजना (100 प्रतिशत प्रति रा0पो0), (7) अल्पसंख्यक कक्षा 1 से 10 तक की छात्रवृत्ति योजना (8) मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना (9) मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना।	41–47
6.	श्रम विभाग	(1) ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया, (2) (असंगठित कामगारों का एकीकृत नेशनल डेटा बेस)प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM), (3) राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS-Traders)	48–50
7.	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण	(1) श्रमिक कार्ड एवं श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण, (2) पुत्र/पुत्री शिक्षा सहायता (3) टूल–किट सहायता (4) साईकिल/सिलाई मशीन सहायता (5) सौर उर्जा सहायता (6) छाता सहायता (7) सैनेट्री नैपकीन (8) शौचालय निर्माण आर्थिक सहायता (02	51–56

PROGRAMME EVALUATION DEPARTMENT

	कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW)	किश्तों में), (9) भवन क्रय अथवा निर्माण हेतु, (10) प्रसूति आर्थिक सहायता, (11) पुत्री विवाह आर्थिक सहायता, (12) निः शक्ता पेंशन, (13) वृद्धा पेंशन (60 वर्ष पूर्ण होने पर), (14) वृद्धा पेंशन (65 वर्ष पूर्ण होने पर), (15) कुटुम्ब पेंशन, (16) मृत्योपरान्त अर्थिक सहायता।	
8.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	(1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (अन्त्योदय अन्न योजना–गुलाबी राशन कार्ड), (2) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (प्राथमिक परिवार–सफेद राशन कार्ड), (3) राज्य खाद्य योजना (पीला राशन कार्ड) (4) मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना, (5) प्रधानमंत्री उज्जवला योजना ।	57–61
9.	गृह (पुलिस) विभाग	(1) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनकी विधवाओं की मासिक/पारिवारिक पेंशन, (2) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रथम पीढ़ी के सभी जीवित विधिक उत्तराधिकारियों को सम्मिलित रूप से अनुमन्य "सम्मान पेंशन" की योजना, (3) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवा पुत्रवधु को उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा, (4) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा घायल हुये आन्दोलनकारियों की पेंशन, (5) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा घायल हुये आन्दोलनकारियों की श्रेणी से भिन्न राज्य आन्दोलनकारियों की पेंशन योजना, (6) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा घायल हुये आन्दोलनकारियों की श्रेणी से भिन्न चिन्हित राज्य आन्दोलनकारियों के आश्रितों (पति/पत्नी) को भी राज्य आन्दोलनकारी की मृत्यु के पश्चात् पेंशन दिये जाने की योजना, (7) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान विकलांग होकर पूर्णतः शय्याग्रस्त (उमकतपककमद) हुए राज्य आन्दोलनकारियों की विशेष सम्मान पेंशन योजना, (8) आपातकालीन अवधि (दिनांक–25.06.1975 से दिनांक–21.03.1977 तक) में मीसा/डी0आई0आर0 में कारागार में निरूद्व प्रदेश के लोकतन्त्र सेनानियों की "लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन" योजना, (9) आपातकालीन अवधि (दिनांक–25.06.1975 से दिनांक 21.03.1977 तक) में मीसा/डी0आई0आर0 में कारागार में निरूद्व प्रदेश के लोकतन्त्र सेनानियों की विधवा पत्नी अथवा विधुर पति को "लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन" योजना।	62–65
10.	न्याय विभाग (उत्तराखड़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण)	1. विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिनियम, 1987 के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता देना 2. बहुउददेशीय शिविरों/जनजागरूकता शिविर/चिकित्सा शिविरों/विधिक सेवा शिविरों का आयोजन 3. विशेष अभियान – "हमदर्द" 4. "उत्तराखण्ड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित/उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना, 2020" 5. "विधिक सेवा रथ" का संचालन/कार्यान्वयन।	66–70
11.	बेसिक शिक्षा विभाग	1.निःशुल्क पाठ्य –पुस्तक योजना 2. निःशुल्क जूता एवं बैग योजना 3. प्रधानमंत्री पोषण शक्तिनिर्माण (पी0एम0 पोषण) योजना 4. राज्य के समस्त राजकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया ।	71–72
12.	माध्यमिक शिक्षा विभाग	(1) आवासीय–राजीव गांधी नवोदय विद्यालय/राजीव गांधी अभिनव विद्यालय,(2) पण्डित दीनदयाल शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार,(3) बालिका शिक्षा प्रोत्साहन(साईकिल योजना),(4) डॉ शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति, (5) श्रीदेव सुमन राज्य योग्यता छात्रवृत्ति,(6) आर0आई0एम0सी0 छात्रवृत्ति (सैनिक छात्रवृत्ति), (7) प्रदेश के बाहर स्थित सैनिक स्कूल छात्रवृत्ति, (8) मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (जूनियर स्तर), (9) मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (माध्यमिक स्तर), (10) मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (माध्यमिक स्तर कक्षा 11 एवं 12)	73–78
	समग्र शिक्षा परियोजना	1-ECCE (प्रारम्भिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा) 2. कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका (छात्रावास) 3.नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास 4. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 5. प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (पी0एम0 पोषण) 6. व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम	79–82
13.	उच्च शिक्षा विभाग	(1) राज्य के मेधावी छात्रों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विशेष आर्थिक सहायता योजना, (2)एन0डी0ए0, आई0एम0ए0, ओ0टी0ए0, आई0एन0ए0, आई0ए0एफ0 में चयनित अभ्यर्थियों को पुरस्कार योजना, (3) मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, (4)ऋषि एवं मिलन खोसला छात्रवृत्ति योजना (5) प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं हेतु सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिये जाने की योजना, (6) उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना, (7) मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना, (8) समर्थ पोर्टल https://uttarakhand.samarth.ac.in/index.php/site/login	83–88

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

14.	संस्कृत शिक्षा विभाग	**उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा संचालित योजनाएं/पाठ्यक्रम** – (1) संस्कृत छात्र प्रतियोगिता, (2) अखिल भारतीय संस्कृत कवि सम्मेलन (3) संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान (4) अनुसूचित जाति एवं अनु जनजाति के छात्रों के लिए संस्कृत छात्रवृत्ति योजना (5) संस्कृत शोध छात्रवृत्ति योजना, **उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित योजनाएं/पाठ्यक्रम** – (1) .पी.जी. डिप्लोमा (P.G. Diploma), (2) सर्टिफिकेट (Certificate) (3) मैरिट के आधार पर छात्रवृत्ति (4) निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति **संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित योजनाएं/पाठ्यक्रम**– (1) संस्कृत पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं निशुल्क वितरण, (2) संस्कृत विद्यालयों के मेधावी छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।	89–93
15.	संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग	(1) सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, (2) उत्तराखण्ड राज्य के वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों/ साहित्यकारों एवं लेखकों हेतु पेंशन योजना, (3) लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता, (4) धार्मिक यात्राओं हेतु प्रदेश के स्थायी निवासीयों को आर्थिक सहायता, (5) अ०जा०/जनजाति के व्यक्तियों के लिये पारम्परिक वाद्य यंत्रों, वेश–भूषा का क्रय करने हेतु, (6) भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय।	94–97
16.	प्राविधिक(तकनीकी) शिक्षा, विभाग	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की निम्न छात्रवृत्ति योजना संचालित हो रही है :– 1. प्रगति, 2. सक्षम, 3. स्वनाथ	98–99
17.	कौशल विकास एंव सेवायोजन विभाग	1.राज्य पोषित योजना (ELSTP) 2. दस्तकार प्रशिक्षण 3. मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना	100– 101
18.	युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग	(1) प्रान्तीय रक्षक दल (पी0आर0डी0) स्वयंसेवकों की तैनाती, (2) खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, (3) युवा दलों को आर्थिक सहायता (4) युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल स्वावलम्बन योजना, (5) महिला मंगल दल एवं युवक मंगल दल का गठन (6) ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्द्धन योजना (7) युवाओं का साहसिक प्रशिक्षण।	102– 106
19.	खेल विभाग	1. खेल प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन 2.खिलाड़ियों एवं उनके प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने पर नकद पुरस्कार धनराशि 3. राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार 4. मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना 5. खिलाड़ी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना 6.राज्याधीन सेवाओं में आउट ऑफ टर्न सेवायोजन/ खिलाड़ियों को नौकरी 7.विभाग के अन्तर्गत कॉन्ट्रैक्ट खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति 8.भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता/पेंशन ।	107–113
20.	उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (यू–सैक)	(1) रिमोट सेंसिंग व जी0आई0सी0 एप्लीकेशन पर ट्रेनिंग/क्षमता विकास कार्यक्रम/शोध कार्य	114–116
	उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र	(1) E-Content का विकास एवं प्रसारण, (2) STEM (Science Technology, Engineering, Mathematics) की प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं संचालन, (3) विभिन्न क्षेत्रों में आउटरीच कार्यक्रमों का संचालन। (4) Experiential Learning के अंतर्गत हैण्डस ऑन ट्रेनिंग तथा एस्पोजर विजिट।	117– 119
	उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद	1. आंचलिक विज्ञान केंद्र 2. सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव 3. राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 4. उद्यमिता एवं विकास कार्यक्रम 5. उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस यूएसएसटीसी 6. आर्टिफिशिल इंटैलीजेन्स 7. सौर आधारित हाइड्रोपोनिक प्रणाली 8. शोध अनुसंधान एवं विकास 9. विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण 10.यात्रा अनुदान	120–122
21.	उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद् हल्दी, पंतनगर (कृषि विभाग)	**कौशल विकास कार्यक्रमः**– पादप उत्तक संवंधन द्वारा पौध उत्पादन विधि एवं कृषिकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, हाइड्रोपोनिक एवं मृदारहित कृषिकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, पेयजल एवं मृदा गुणवत्ता जॉच पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, आण्विक जीवविज्ञान और आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीकी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, हिमालय वनस्पतियों से प्राप्त प्राकृतिक उत्पाद से औषधि निर्माण पर प्रशिक्षण।	123–125
22.	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	**महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य की योजनायें** :–1. ईजा–बोई शगुन योजना, 2. कैंसर डे केयर सेंटर, 3. संस्थागत प्रसव को बढ़ावा, 4. चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया (दिव्यांगता प्रमाणित करने हेतु) 5. दिव्यांगजनों हेतु विशिष्ट पहचान पत्र	126–135

PROGRAM IMPLEMENTATION DEPARTMENT

	विभाग	(यू0आई0डी0 कार्ड) बनाने की प्रक्रिया। **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड :–** 1. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) 2. जननी सुरक्षा योजना (JSY) 3. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) 4. प्रतिरक्षण कार्यक्रम 5. बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 6. किशोर स्वास्थ्य परामर्श क्लीनिक, 7. सप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड गोली निशुल्क वितरण, 8. सैनिटरी नेपकिन वितरण, 9. निःशुल्क जांच योजना, 10. 108 आकस्मिक एम्बुलेन्स सेवा, 11. खुशियों की सवारी सेवा, 12. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम 13. निःशुल्क रक्त 14. हीमोग्लोबिनोपैथी 15.एकीकृत टोल फ्री 104 हेल्पलाइन 16.राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम 17.राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) 18.राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम (NPCB) 19.राष्ट्रीय पैलियटिव केयर कार्यक्रम (NPPC) 20.राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (NPHCE) **राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण** 1. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना) 2. राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना। **राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान–**मानसिक संस्थान में रोगियों के पंजीकरण की प्रक्रिया	
	चिकित्सा शिक्षा विभाग	(1) मेडिकल (स्नातक पाठ्यक्रम–एम0बी0बी0एस, परास्नातक पाठ्यक्रम–एम0डी0/एम0एस), (2) डेंटल पाठ्यक्रम (स्नातक पाठ्यक्रम, परास्नातक पाठ्यक्रम), (3) नर्सिंग पाठ्यक्रम (डिप्लोमा/स्नातक पाठ्यक्रम–ए0एन0एम0, बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग, परास्नातक पाठ्यक्रम एम0एसी0–सी0 एन0पी0सी0सी0), (4) पैरामेडिकल पाठ्यक्रम (डिप्लोमा/स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रम)	136–143
23.	होम्योपैथी	(1) 13 राजकीय होम्योपैथिक जिला चिकित्सालय, 71 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, 28 एन0एच0एम0 विंग, 05 आर0सी0एच0 तथा 04 त्वचा रोग केन्द्र (2) 27 होम्योपैथिक हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्रों की स्थापना, (3) होम्योपैथिक औषधि निर्माण तथा विक्रय के नवीन लाईसेन्स निर्गत तथा नवीनीकरण करना।	144–145
24.	आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग	(1) आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्र (आयुष्मान भारत योजना), (2) आयुर्विद्या–आयुष के माध्यम से स्कूली बच्चों के लिए स्वस्थ जीवनशैली, (3) सुप्रजा–आयुष के माध्यम से गर्भवती माताओं एवं नवजात बच्चों हेतु स्वास्थ्य लाभ, (4) योग वैलनेस केन्द्र।	146–147
25.	सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग	(1) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (राज्य सरकार), (2) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम (3) स्टार्टअप नीति–2023, (4) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2023, (5) मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट पॉलिसी–2021, (6) उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार, (7) उद्यमियों को प्रोत्साहन करने के लिये पुरस्कार योजना, (8) हथकरघा कताई–बुनाई महिला कर्मकारों को सहायता योजना, (9) शिल्पियों हेतु पेंशन योजना, (10) थारू, बोक्सा एवं अन्य जनजाति की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना (प्रशिक्षण एवं विपणन हेतु)।	148– 161
26.	खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	(1) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), (2) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (राज्य सरकार), (3) खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट योजना।	162– 163
27.	पर्यटन विभाग	1.दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम– स्टे) विकास योजना 2. ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम–स्टे अनुदान योजना 3.अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम–स्टे) पंजीकरण 4.वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना 5. उत्तराखण्ड पर्यटन नीति, 2023 के अंतर्गत प्रावधानित अनुदान।	164–172
28.	ऊर्जा विभाग (उरेडा)	1. राष्ट्रीय वायो इनर्जी कार्यक्रम 2. मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 3. ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट योजना 4. Grid Connected Rooftop Phase-II योजना, MNRE भारत सरकार द्वारा संचालित	173–175
	यू0पी0सी0एल0	नये विद्युत मीटर (घरेलू) संयोजन/कनेक्शन की प्रक्रिया, एल०टी० संयोजन, एच०टी० संयोजन	176–177
29.	सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग	1.शूटिंग अनुमति प्रमाण–पत्र 2. फिल्मों को अनुदान	178–180
30.	ग्राम्य विकास विभाग	1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) 2- दीनदयाल अन्तोदय– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) 3- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDUGKY) 4- प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण (PMAY-G) 5-रूरल बिज़नेस इन्क्यूबेटर्स(RBI), 6- बी0पी0एल0 सूची में नाम जोडने एवं संशोधन करने एवं हटाने की	181–185

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

		प्रकिया 7. सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 SECC सूची	
31.	सहकारिता विभाग	(1) दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना (2) मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना (3) मोटर साईकिल टैक्सी योजना (4) ई–रिक्शा कल्याण योजना	186–189
32.	कृषि विभाग	1.प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kissan) 2. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) 3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) 4. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (SMAE) 5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) 6. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (R.K.V.Y.) 7. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (S.H.C.) 8. राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन योजना (वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम) (NMSA-RAD) 9.परम्परागत कृषि विकास योजना (P.K.V.Y.) 10. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) 11. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) 12. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन, कस्टम हायरिंग सेन्टर/बडे किसानों हेतु (SMAM) 13. इलेक्ट्रानिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (eNAM) कृषि विभाग –उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड	190–208
33.	उद्यान विभाग	(1) उद्यान कार्ड बनाने की प्रक्रिया (2) फल विस्तार क्षेत्र (3) सब्जी क्षेत्रफल विस्तार (4) मसाला क्षेत्रफल विस्तार (5) पुष्प क्षेत्रफल विस्तार (6) मशरूम उत्पादन (7) ट्यूबवैल स्थापना/पौण्ड निर्माण (8) ग्रीन हाऊस निर्माण, (9) मौनपालन, (10) तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन, (11) खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य वृद्धि प्रबन्धन (12) टपक सिंचाई (ड्रिप) स्प्रिंकलर, (13) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (14) उद्यानों की घेरबाड़ की योजना, (15) मशरूम उत्पादन एवं विपणन की योजना, (16) वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना (17) सेब की अति सघन बागवानी योजना, (18) मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना। **जडी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल, चमोली, उत्तराखण्ड–** (1) बीज/पौध निशुल्क वितरण योजना (2) कृषकों का पंजीकरण (3) जड़ी–बूटी उत्पाद की निकासी प्रकिया का सरलीकरण (4) वैधानिक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी करना। **उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोडा –** (1) पर्वतीय जनपदों में चाय विकास कार्यक्रम (2) टी टूरिज्म (3) चाय फैक्ट्रियों की स्थापना। **भेषज विकास इकाई, उत्तराखण्ड** –भेषज कृषि विकास योजना (जड़ी बूटी कृषिकरण कार्यक्रम)।	209–226
34.	सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप), सेलाकुई, देहरादून	(1) सगन्ध जागरूकता कार्यक्रम, (2) सगन्ध कृषक पंजीकरण, (3) सगन्ध कृषिकरण (4) कृषिकरण अनुदान योजना (5) मनरेगा के अंतर्गत सगन्ध कृषिकरण (6) राज्य में सगन्ध पौधों की खेती कर रहे किसानों/संस्थाओं/समूहों को उनके उत्पाद के तुडाई उपरान्त प्रबन्धन, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन को बढ़ावा, (7) गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट (8) सगन्ध तेलों/उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य (9) सिडकुल, काशीपुर में स्थित एरोमा पार्क में सगन्ध उद्योगों की स्थापना पर एमएसएमई विभाग द्वारा प्रोत्साहन।	227–232
35.	पशुपालन विभाग	(1) बकरी पालन, (2) भेड़ पालन, (3) गौ पालन, (4) महिला बकरी पालन, (5) कुक्कुट वैली की स्थापना, (6) ब्रॉयलर फॉर्म की स्थापना, (7) पशुपालकों को लिंग वर्गीकृत वीर्य हेतु अनुदान (8) गौसदनों की स्थापना	233–236
36.	डेरी विकास विभाग	(1) राज्य समेकित सहकारी विकास योजना तथा गंगा गाय महिला डेरी योजना (2) दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना (4) साइलेज एवं दुधारू पशुपोषण योजना	237–239
37.	रेशम विभाग	1.रेशम वृक्षारोपण 2.कीटपालन उपकरण 3.कीटपालन कक्ष	240–242
38.	मत्स्य विभाग	(1) पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य तालाब निर्माण (2) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति उपयोजना (3) मत्स्य पालन विवधीकरण(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति योजना) (4) राज्य महिला मात्स्यिकी इनपुट योजना (5) प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (6) दुर्घटना बीमा योजना (प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना)।	243–248
39.	वन विभाग	1. महिला नर्सरी 2. हमारा स्कूल हमारा वृक्ष 3. हमारा पेड हमारा धन 4.मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि।	249–255
40.	आवास विभाग	1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास घटक	256–257
41.	शहरी विकास विभाग	1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे0–एन0यू0एल0एम0) 2. पी0एम0स्वनिधि 3. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)	258–259
42.	स्वजल परियोजना	(1) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण–शौचालय निर्माण), (2) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण–अपशिष्ट प्रबन्धन)	260–261
43.	पेयजल विभाग (उत्तराखण्ड जल संस्थान)	(1) जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल उपभोक्ताओं को जल संयोजन दिये जाने की व्यवस्था, (2) राज्य के शहरी क्षेत्रों में निवासारत बी.पी.एल./निर्धन परिवारों को रू0 100 में जल संयोजन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध	262– 264

PROGRAMME MANAGEMENT UNIT, DOP&M

44.	पंचायती राज विभाग	1.जन्म पंजीकरण व प्रमाण पत्र 2. मृत्यु पंजीकरण व प्रमाण पत्र 3. परिवार रजिस्टर 4. निजी भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र 5. शौचालय प्रमाण–पत्र	265–268
45.	राजस्व विभाग	1. स्थाई निवास प्रमाण पत्र, 2. उत्तरजीवी/पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र, 3.पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र, 4.चरित्र प्रमाण पत्र ठेकेदारी/सामान्य हेतु., 5. हैसियत प्रमाण पत्र, 6.स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र, 7. स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी का उत्तराधिकारी होने संबंधी परिचय पत्र, 8. आय प्रमाण पत्र (आय प्रमाण–पत्र जारी होने की तिथि से 01 वर्ष तक के लिए वैध होता है।) 9. (1) अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र (2) अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र (3) अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र राज्य की सेवाओं हेतु (अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र 03 वर्ष के लिए वैध होता है। (4) अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र भारत सरकार की सेवाओं हेतु (यह क्रीमी लेयर की श्रेणी में न आने तक, वैध होता है।) 10.आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो हेतु आय और सम्पत्ति प्रमाण पत्र 11.सामान्य जाति प्रमाण पत्र 12.विरासत दर्ज कराना (मृत्यु होने की स्थिति में।) 13.दाखिल खारिज (क्रय–विक्रय) 14.खाता खतौनी में संशोधन 15.जमीन का डिमार्केशन (सीमांकन) करने की प्रकिया/खेत की पैमाईश, नापजोख हेतु। 16.खसरा खतौनी की प्रमाणित नकल प्राप्त करने की प्रकिया 17.नकल खसरा एवं नकल सजरा (भू–मानचित्र की प्रति) प्राप्त करना। 18.दैवीय आपदा आर्थिक सहायता	269–278
46.	परिवहन विभाग उत्तराखण्ड	1.वाहनों का पंजीयन कार्य 2. चालक/परिचालक लाइसेंस संबंधी कार्य 3.व्यवसायिक वाहनों के फिटनेस संबंधी कार्य 4. व्यवसायिक वाहनों के परमिट संबंधी कार्य 5. वाहन चालकों को निःशुल्क प्रशिक्षण 6.निजी क्षेत्र में आटोमेटेड़ फिटनेस टेस्टिंग को मान्यता 7. निजी क्षेत्र में चालक प्रशिक्षण स्कूलों को मान्यता	279–287
47.	आधार केन्द्र	1.आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधा और सेवाओं का लक्षियत परिदान) आधिनयम, 2016	288–289
48.	निर्वाचन आयोग	मतदाता पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया	290–291
49.	सूचना प्रौद्योगिकी (ITDA)	1. मुख्यमंत्री हैल्प लाईन 1905 पोर्टल https://cmhelpline.uk.gov.in/ 2- अपुणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ 3- आई0टी0 पॉलिसी व संशोधन–2020	292–295
50.	कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)	1. कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) खोलने की सम्पूर्ण प्रकिया का विवरण 2. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान	296–298
51.	नागरिक उड्डयन विभाग	उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)	299–300
52.	आपदा प्रबन्धन विभाग	1.आपदा के कारण मृत्यु, 2. हाथ–पैर, आँख या आँखों की क्षति होने पर अनुग्रह भुगतान, 3.जानलेवा चोट जिसके उपचार हेतु चिकित्सालय में रहना आवश्यक हो, 4. घर बह जाने या प्राकृतिक आपदा के कारण घर के पूर्णतः या अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो जाने या दो दिन से अधिक अवधि तक जल भराव से प्रभावित होने की स्थिति में प्रभावित परिवारों के लिये कपड़े व बर्तन या घरेलू सामान के लिये, 5. कृषि भूमि एवं अन्य की क्षति के लिये सहायता, 6. कृषि निवेश अनुदान (फसलों की क्षति के 33 प्रतिशत या अधिक होने की स्थिति में), 7. 02 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि वाले किसानों को निवेश अनुदान, 8. पशुपालनः–छोटे व सीमान्त कृषकों को सहायता 9. मछली पालन, 10. हाथकरघा–कारीगरों को सहायता, 11. भवन (पूर्णतः क्षतिग्रस्त/नष्ट भवन), 12.सामुदायिक रेडियो स्टेशनो की स्थापना हेतु प्रोत्साहन नीति के सम्बन्ध में।	301–305
53.	उत्तराखण्ड सूचना आयोग	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संबंध में जानकारी।	306
54.	सेवा का अधिकार आयोग	सेवा के अधिकार अधिनियम, 2011 के संबंध में जानकारी।	307
55.	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग	उत्तराखण्ड राज्य में समूह "ख" व "ग" की सरकारी नौकरी प्राप्त करने हेतु, उत्त राखण्ड लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में।	308–309

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड

PROGRAMME UNIT

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग

क्र.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	राज्य पोषित योजना एम्पलायमेंट लिंक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम **(ELSTP)**	यह प्रशिक्षण निःशुल्क है। इस प्रशिक्षण की अवधि 3 से 6 माह है जिसमें रोजगार/स्वरोजगारपरक यथा आईटी, स्वास्थ्य, कृषि, ब्यूटी वेलनेस, इलैक्ट्रानिक्स आदि प्रशिक्षण कोर्स आयोजित कराये जाते हैं। प्रशिक्षण प्रदाता रोजगार प्रदान करने का भी प्रयास करता है।	राज्य के बेरोजगार/स्कूल ड्रॉपआउट /अन्य वंचित वर्ग के युवा।	अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उत्तराखण्ड कौशल विकास समिति की वेबसाइट पर पंजीयन किया जा सकता है। www.uksdm.org तथा वेबसाइट में उपलब्ध निजी प्रशिक्षण प्रदाता केन्द्रों की सूची के अनुसार उल्लिखित केन्द्रों में भी आवेदन कर सकता है। इच्छुक युवा द्वारा उक्त जॉबरोल का चयन कर संस्था से सम्पर्क किया जा सकता है। सक्रिय संस्थाओं की सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना आधार कार्ड, संबंधित कोर्स के अनुसार शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
2.	दस्तकार प्रशिक्षण I.T.I.	जनपदों के आई0टी0आई के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसरों से जोड़कर लाभान्वित करना। यह प्रशिक्षण 1 वर्ष एवं 2 वर्ष का होता है।	आठवीं/दसवीं पास शुल्क वर्तमान में रू0 4000/- प्रतिवर्ष निर्धारित है।	विभाग द्वारा विज्ञापन के माध्यम से I.T.I. में प्रवेश प्रकिया प्रकाशित की जाती है। प्रवेश प्रकिया प्रत्येक वर्ष जुलाई से सितम्बर के मध्य आयोजित होती है। वेबसाइट–www.vpputtarakhand.in पर आवेदन करना होता है। आवेदन के दौरान आधार कार्ड, आरक्षण संबंधी समस्त प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता, मो0 नंबर की आवश्यकता होगी। अंत में मेरिट के आधार पर आनॅलाइन काउन्सिलिंग प्रकिया होने के उपरांत प्रवेश दिया जाता है।
3.	मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना	विदेशी नियोजकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली मांग के आधार पर राज्य के युवाओं को Domain (Language, Culture, Work Ethics, nurshing, hospitality) क्षेत्र में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण के साथ–साथ सम्बन्धित देश के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करना तथा विदेशों में सेवा/नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना।	राज्य का कोई भी युवा	विदेश रोजगार हेतु इच्छुक युवाओं द्वारा अपणी सरकार पोर्टल पर पंजीयन कराया जाता है। पंजीकरण हेतु प्रारम्भिक जानकारी, यथा किस क्षेत्र में काम करना चाहता है, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, के साथ ही पासपोर्ट संबंधी जानकारी मांगी जाती है। पंजीकरण के उपरांत, आवेदक को स्कीनिंग हेतु बुलाया जायेगा। स्कीनिंक परीक्षा में सफल होने के उपरांत प्रशिक्षण हेतु अर्ह होंगे। स्कीनिंग होने के उपरांत अभ्यर्थी से आधार कार्ड, बैंक खाता, स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। प्रशिक्षण आवासीय/नॉन आवासीय हो सकता है। कुल प्रशिक्षण लागत का 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा तथा कुल प्रशिक्षण लागत का 60 प्रतिशत तक ऋण लेने पर उक्त लोन के ब्याज का 75 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। ऋण न लेने की स्थिति में राज्य सरकार 20 प्रतिशत ही देगी। ऋण हेतु प्रशिक्षणार्थी, प्रशिक्षण के दौरान आवेदन करेगा। संबंधित विभाग, प्रशिक्षणार्थी को लोन लेने में सहयोग करता है। प्रशिक्षण लेने के उपरांत, नियोजित कम्पनी/संस्था, द्वारा टेस्ट/साक्षात्कार लिया जाता है। उसमें पास होने के उपरांत ही संबंधित प्रशिक्षणार्थी को विदेश में रोजगार हेतु भेजा जाता है। अपणि सरकार पोर्टल पर पंजीकरण की प्रकिया लगातार खुली रहती है।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT